मानव अधिकार प्रोटेक्शन आर्गनाईज़ेशन

H.Q.: DELHI (INDIA)

REGD. WITH GOVT. OF N.C.T. OF DELHI, CENTRAL R. NO. S-56392 UNDER ACT GOVT. OF INDIA

ADMN. OFF.:B-1202, G.D.Farms, Mayur Vihar-III, Delhi-110096, M-09810530449 (Helpline)

क्या अधिकार की मांग के साथ कर्तव्य पालन आवश्यक नहीं?
क्या समाज के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं?

यदि हाँ,

Contribute For Nation

तो हर व्यक्ति हमारी इस मुहिम का अहम हिस्सा है

बाल मजदूरी

बलपूर्वक वेश्यावृति

पेशेवर भिखारीपन

समाज के लिए अभिशाप है बाल मजदूरी

बच्चे परिवार, समाज, राज्य और देश के भविष्य होते हैं, लेकिन तब जब परिवार, समाज, राज्य और देश उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध करायें और उनकी सेवा में तत्पर रहें, किन्तु जब यही बच्चे १४ वर्ष से कम उम्र में ही अपने परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण के लिए हाडतोड़ मेहनत करने को मजबूर हो जाये तो उन्हें परिवार, समाज, राज्य का देश का भविष्य कैसे कहा जा सकता है? देश में मेहनत मजदूरी कर परिवार के सदस्यों को सुविधाऐं उपलब्ध कराने वाले बाल श्रमिकों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है।

THEY NEED YOUR SUPPORT

देश में ६ करोड़ से अधिक बच्चे बाल मजदूरी करते हैं और इतने ही लोग देश में बेरोजगार हैं। सस्ती मजदूरी की वजह से बाल मजदूरी बढ रही है, लेकिन उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है जिनके पास कोई काम नहीं होता। गरीबी और बाल-मजदूरी का मुख्य कारण अशिक्षा है।

बाल-मजदूरी दुनियाभर की समस्या है लेकिन भारत में बाल-मजदूरों की दशा सबसे अधिक खराब है। "मानव अधिकार प्रोटेक्शन ऑर्गेनाईज़ेशन" का उददेश्य ऐसे बच्चें जिनका बचपन बाल-मजदूरी की वजह से बरबाद हो रहा है, उन्हें सुरक्षा, सम्मान और शिक्षा दिलाना है।

Contribute For Nation

इसके तहत निम्न अभियान चलाये जा रहे हैं:-

भोजन

शिक्षा

आवास

जबरन कराई जाने वाली वेश्यावृति के प्रति उठाये गये ठोस कदम

रोक

Contribute For Nation

मुक्ति

जबरन कराई जाने वाली वेश्यावृति के प्रति "मानव अधिकार प्रोटेक्शन् ऑर्गेनाईज़ेशन" ने इसकी रोकथाम के लिए जिला स्तर पर पुर्नवास केन्द्र खोलने की मुहिम छेड़ी हैं जहां पर इस पेशे से मुक्त करायी गयी बच्चियों व महिलाओं को शिक्षा, रोजगार व भोजन मुहैया कराया जायेगा तथा उनके मानसिक विकास के लिए योग की शिक्षा भी दी जायेगी।

- पुर्नवास -

भोजन

शिक्षा

रोजगार

लाचारों की आड़ में पनपते पेशेवर भिखारियों की जड़ से समाप्ति

अपंगों व लाचारों की आड़ में पेशेवर भिखारियों द्वारा समाज में फैलाये जा रहे उत्पीड़न व शोषण को को जड़ से समाप्त करने के लिए "मानव अधिकार प्रोटेक्शन् ऑर्गेनाईज़ेशन" ने पूर्णतयाः अपंग लोगों के लिए विशेष संरचनात्मक ढाचा तैयार किया है। गौरतलब है कि आम तौर पर देखे गये सौ भिखारियों में से मात्र दो से चार को वास्तविक रूप में भीख की आवश्यकता है अन्यथा बाकी भिखारी भीख की आड़ में शोषण तथा अपराध के जनक होते है। संस्था इसके लिए वास्तविक रूप में लाचारों के लिए जिला स्तर पर "संरक्षण केन्द्र" खोल रही है जिससे कि पेशेवर भिखारियों द्वारा ली जाने वाली अपंगो एवं लाचारों की आड़ पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी।

Contribute For Nation

जीवन यापन हेतु आश्यकताएँ

रोटी, कपड़ा और मकान